| आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 27/05/17 | **न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।**<br>नामांतरण अपील वाद सं0 12/2013–14<br>रविन्द्र नाथ दुबे वगै0 – अपीलार्थीगण<br>बनाम<br>शम्भू नाथ दुबे वगै0 – प्रत्यार्थी<br>आदेश<br>अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 1132/2009–10 एवं 1133/2009–10 में अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा दिनांक 10.10.2009 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। आवेदक के अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। नोटिस प्राप्ति के पश्चात प्रत्यर्थी उपस्थित होकर जवाब दाखिल किये। इस वाद के विधिवत सुनवाई की गई।<br>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कहना है कि ग्राम–दुबे मरहटिया के खाता न0–144, प्लॉट न0–368, रकबा–4.97 एकड़ है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त नामान्तरण वाद एवं इस अपीलवाद का विषयवस्तु उपरोक्त खाता, प्लॉट में नामांतरण वाद सं0 1132/2009–10 एवं 1133/2009–10 कमशः रकवा 37 1/2 एवं 37 1/2 डिसमील कुल– 75 1/2 डिसमील जिसका नामान्तरण अपीलार्थी के पिता स्व0 युगेश्वर दुबे के नाम राजस्व मांग पंजी–2 में पृष्ठ संख्या–136/4 पर चल रहे मांग से किया गया है जबकि प्रत्यर्थी शंभुनाथ दुबे एवं उदय कुमार दुबे को यह जमीन अपीलार्थी या इनके पिता युगेश्वर दुबे द्वारा कभी किसी भी तरह से हस्तानांतरित नही किया गया है। विक्रीनामा संख्या– 6591 एवं 6592 दोनो तिथि 08.09.2010 जिसका लेखाकार डा0 कपिलदेव दुबे पिता स्व0 अनिरूद्ध दुबे और लेख्यधारी शंभुनाथ धर दुबे एवं उदय धर दुबे के आधार पर ही उल्लेखित जमीन का अवैध नामान्तरण अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा प्रत्यर्थी के नाम किया गया है जबकि उक्त खाता, प्लॉट की भूमि का कपिलदेव दुबे या इनके पिता के नाम इस विक्रीनामा में वर्णित भूमि का मांग राजस्व मांग पंजी–2 में नाम दर्ज नही है, बल्कि केवल युगेश्वर दुबे के नाम उपरोक्त जमीन का मांग चलता था जिसमें से गलत एवं अवैध रूप से प्रत्यर्थी के नाम से नामान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि पार्टीशन सूट सं0–42/1953 में भुलवश युगेश्वर दुबे के तख्ता में 4.97 एकड़ लग गया था और प्रत्यर्थी के दादा गरीबा दुबे के नाम से इसी प्लॉट में 2.97 एकड़ जमीन का तख्ता लगा गया था जो गलत हुआ था। इसके विरूद्ध इजराय वाद संख्या– 07/1968 सबजज गढ़वा के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें तख्ता के अनुसार दखल कब्जा का प्रश्न उठा तब यह गलती स्पष्ट हो गया। इसके पश्चात विषयवस्तु वाली जमीन के लिए अपीलार्थी युगेश्वर दुबे एवं प्रत्यार्थी गरीबा दुबे के पुत्रों के बीच सुलहनामा दाखिल किया गया जिसमें सुलहनामा के आधार पर 4.97 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन गरीबा दुबे एवं उनके पुत्रों को प्राप्त हुआ जबकि आवेदक के पिता युगेश्वर दुबे के 2.97 एकड़ प्राप्त हुआ, जो श्रीमान सबजज के द्वारा दिनांक 29.03.1990 के स्वीकृति प्राप्त हुआ। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी को तख्ता में जो जमीन प्राप्त हुआ है उसका मांग आज तक कायम नहीं किया |

P.N-139-
15-7-17

Scanned with CamScanner

गया जबकि मेरे पिता स्व0 युगेश्वर दुबे के कायम जमाबंदी से मांग घटाकर प्रत्यार्थी के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया, जो गलत एवं निराधार है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

प्रत्यार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के कथन यह सही है कि पार्टीशन सूट 42/1953 एवं इजराय वाद संख्या– 07/1968 में पारित आदेश को स्वीकार करते हैं। प्रत्यर्थी का कहना है कि पार्टीशन सूट में 2.97 एकड़ मेरे तख्ता में था और उसी पर जमाबंदी कायम हुआ था। कालांतर में इजराय वाद संख्या– 07/1968 में आपसी सुलहनामा के आधार पर रकबा सुधार कर दिया गया, इसके अनुसार प्रत्यार्थी को 2 एकड़ हिस्सा रह गया और वही जमाबंदी कायम रहा। इसमें युगेश्वर दुबे को प्राप्त 2.97 एकड़ का जमाबंदी कायम नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पार्टीशन सूट में पारित आदेश एवं इजराय वाद में पारित आदेश के बीच के अवधि में गरीबा दुबे के नाम से जमाबंदी कायम किया गया था एवं वर्तमान सर्वे में भी गरीबा दुबे के नाम से बंडा परचा प्राप्त है। इस प्रकार प्रत्यार्थी के द्वारा गरीबा दुबे के वंशज से विक्रय पत्र लिखाकर मूल की सम्पूर्ण राशि की भुगतान कर खरीद किये थे तथा इनके नाम से विधिवत हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जांच करने के पश्चात जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जांचोपरांत नियमानुसार विषयवस्तु वाली भूमि का जिसपर अंचलाधिकारी ने सही मानते हुए नामान्तरण आदेश पारित किया है। राजस्व का मूल सिद्धांत दखल कब्जा होना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्यार्थी का विवादित जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है साथ ही साथ नामांतरण आदेश पारित होने के दो वर्ष बाद अपील दाखिल किया गया है जिसमें लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का आवेदन पत्र दिया गया था जिसपर न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिए आवेदक के अपील आवेदन पत्र को निरस्त किया जाए।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क एवं उभयपक्ष के द्वारा दाखिल लेखात्मक साक्ष्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। उपर वर्णित तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि अंचलाधिकारी के द्वारा उक्त नामान्तरण वाद में पंजी–2 रैयत के द्वारा भूमि हस्तानान्तरण नही किया गया है, को मानते हुए भी दाखिल खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः आवेदक का अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश नामांतरण वाद सं0 1132/2009–10 एवं 1133/2009–10 को निरस्त किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, गढ़वा को वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

27/05/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

27/05/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार
गढ़वा।

Scanned with CamScanner